प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए ''भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार के कल्याण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2021–22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।